झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची

आपराधिक प्रकीर्ण याचिका सं. 109 वर्ष 2024

1. पंकज किशोर उपाध्याय, उम्र लगभग 41 वर्ष

2. सुभाष चन्द्र उपाध्याय, उम्र लगभग 33 वर्ष

दोनों कौशल उपाध्याय के पुत्रगण, दोनों निवासी गाँव चेचरिया, पोस्ट ऑफिस सेमौरा, पुलिस थाना कंडी, जिला गढ़वा (झारखण्ड)

.....याचीगण

बनाम

झारखण्ड राज्य ---------- विरोधी पक्षकार

याचीगण के लिए : श्री राम किंकर अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री शिव शंकर कुमार, अपर लोक अभियोजक

निर्णीत

मा0 श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा - **दोनो पक्षकारों को सुना।**

2. इस दाण्डिक प्रकीर्ण याचिका को जी.आर सं. 338 वर्ष 2023 के तत्समान कंडी पुलिस थाना मामला सं0 10 वर्ष 2023 के संबंध में संज्ञान लेने के आदेश दिनांक 12-04-2023 सहित सम्पूर्ण दाखिल कार्यवाहियो को अभिखंडित करने तथा अपास्त करने के अनुरोध के साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन इस न्यायालय के अधिकारिता का अवलंब लेते हुए दाखिल किया गया है जिसके द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188/34 के अधीन दण्डनीय अपराध हेतु संज्ञान विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी,गढ़वा द्वारा याचीगण के विरूद्ध लिया गया है तथा उक्त मामला अभी विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी,गढ़वा के न्यायालय में लंबित है।

3. याचीगण के विरूद्ध अभिकथन यह है कि याचीगण ने सहअभियुक्तगण के साथ अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में लोक सेवक द्वारा सम्यक आदेश की अवहेलना किया था। मामले को यह अभिकथन करते हुए प्राइवेट व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट पर संस्थित किया गया था कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट गढ़वा द्वारा प्रख्यापित आदेश के उल्लंघन में तथा उक्त आदेश के उल्लंघन में शौचघर के सेप्टिक टैंक का निर्माण किया है।

4. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि द.प्र.सं. की धारा 195 विचार करता है कि कोई न्यायालय संबंधित लोक सेवक या किसी अन्य लोक सेवक जिसके संबंधित लोक सेवक प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है के लिखित शिकायत के सिवा भारतीय दण्ड संहिंता की धारा 188 के अधीन दण्डनीय अन्य बातो के साथ अपराध का संज्ञान नही लेगा। अपने तर्क के समर्थन में, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने सी.मुनियप्पन एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (2010) 9एससीसी 567 में संप्रकाशित मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है जिसका पैरा 35 निम्नवत पाठित है :-

"35. नि:सन्देह विधि तबतक भा.द.सं. की धारा 188 के अधीन किसी अपराध का संज्ञान लेने की अनुमति नही देता है, जबतक सक्षम लोक सेवक द्वारा लिखित शिकायत न हो। वर्तमान मामले में, इस प्रकार की शिकायत को कभी दाखिल नहीं किया गया था। इस प्रकार की संभाब्य घटना मे तथा इस संबंध में स्थापित विधिक सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय है कि भा.द.सं. की धारा 188 के अधीन आरोप विरचित करना विचारण न्यायालय के लिए अनुज्ञेय नही था। फिर भी हम इस आगे के निवेदन से सहमत नही है कि द.प्र.सं. की धारा 195 अधीन शिकायत का अभाव अभियोजन मामले के उत्पत्ति को मिथ्या साबित करता है तथा सम्पूर्ण अभियोजन मामले के लिए घातक है" (बल दिया गया)

आगे द.प्र.सं. 1861 वर्ष 2022 में पारित हेमंत सोरेन बनाम झारखण्ड राज्य तथा एक अन्य के मामले में इस न्यायालय के समन्वय पीठ. के निर्णय पर भरोसा किया है जिसमें समन्वय पीठ. ने सी. मुनियप्पन तथा अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (ऊपर) के मामले में भारत के मा. उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया था क्योकि इस मामले में शिकायत लोक सेवक या इससे वरिष्ठ किसी के द्वारा दाखिल नही किया गया था, जिसके आदेश का उल्लंघन किया गया था तथा समन्वय पीठ. ने 1992 अनुपूरक (1) एससीसी 335 में संप्रकाशित हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल के मामले में भारत के मा. उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया था। अतः यह निवेदन किया गया है कि जी.आर.सं 338 वर्ष 2023 के तत्समान कंडी पुलिस थाना मामला सं.10 वर्ष 2023 जो अभी विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गढ़वा के न्यायालय में लंबित है के संबंध में सज्ञान लेने वाले आदेश दिनांक 12-04-2023 सहित सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाहियो को अभिखंडित तथा अपास्त किया जाय।

5. दूसरी तरफ, राज्य के लिए उपस्थित हो रहे विद्वान अपर लो.अभि. ने.जी. आर. सं. 338 वर्ष 2023 तत्समान कंडी पुलिस थाना मामला सं. 10 वर्ष 2023 जो अभी विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गढ़वा के न्यायालय में लंबित है के संबंध में संज्ञान लेने वाले आदेश दिनांक 12-04-2023 सहित सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाहियो को अभिखंडित करने तथा अपास्त करने के याची के अनुरोध का विरोध

किया है तथा निवेदन किया है कि मामले के अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आरोप-पत्र जो पुलिस अधिकारी है दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (घ) के स्पष्टीकरण के अनुसार परिवाद होना माना जाता है।

6. न्यायालय में किये गये प्रतिद्वन्दी निवेदनो को सुनने के बाद तथा अभिलेख में उपलब्ध सामग्रियों का सावधानी पूर्वक परिशीलन करने के पश्चात, यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि जैसा पहले ही सी. मुनियप्पन तथा अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (ऊपर) में भारत के मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि विधि तब तक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन किसी अपराध के बारे में संज्ञान लेने की अनुमति नही देता है जब तक सक्षम लोक सेवक द्वारा लिखित शिकायत नही की जाती है। अतः इस मामले में, उपखण्ड मजिस्ट्रेट को संबंधित लोक सेवक होना बताया गया है जिसके आदेश की अवज्ञा अभिकथित रूप से किया गया है। न तो उपखण्ड मजिस्ट्रेट न ही इससे वरिष्ठ किसी ने प्र.सू.रि. दर्ज कराया है। जहाँ तक धारणा उपबंध जैसा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (घ) के स्पष्टीकरण में उपबंध किया गया है का संबंध है, यह असंज्ञेय अपराध के करने से संबंधित है लेकिन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय अपराध है। चूँकि विद्वान मजिस्ट्रेट ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188/34 के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान लिया है यद्यपि उपखण्ड मजिस्ट्रेट या इससे वरिष्ठ किसी द्वारा परिवाद दाखिल नही किया गया है, अतः इस न्यायालय के सुविचारित राय में याचीगण के विरूद्ध इस दाण्डिक कार्यवाहियो का जारी रहना विधि के कार्यवाही के दुरूपयोग के तुल्य होगा तथा यह उपयुक्त मामला है जहाँ जी.आर.सं. 338 वर्ष 2023 के तत्समान कंडी पुलिस थाना मामला सं. 10 वर्ष 2023 जो अभी विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गढ़वा के न्यायालय में लंबित है के संबंध में संज्ञान लेने वाले आदेश दिनांक 12-04-2023 सहित सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाहियो को अभिखंडित तथा अपास्त किया जाय जैसा याचीगण द्वारा अनुरोध किया गया है।

7. तदनुसार जी.आर.सं. 338 वर्ष 2023 के तत्समान कंडी पुलिस थाना मामला संख्या 10 वर्ष 2023 जो अभी विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गढ़वा के न्यायालय में लंबित है के संबंध में संज्ञान लेने वाले आदेश दिनांक 12-04-2023 सहित सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाहियो को याचीगण के रूप में अभिखंडित तथा अपास्त किया जाता है।

8. परिणाम स्वरूप, इस आ.प्र.या को अनुज्ञात किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी न्यायमूर्ति)

(यह अनुवाद 02 शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)